

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ0 अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 555/2025

मणपुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड, 'रजिस्टर्ड कार्यालय IV/470A (old) W638A (new) मणपुरम हाउस, वालपड थिस्सुर, केरला-680567 एवं शाखा कार्यालय प्लाट नम्बर 122/41, कालिया हास्पिटल के पास, विजयपथ, मानसरोवर, जयपुर- 302020 जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज यादव

— प्रार्थी

बनाम

- श्रीमती छोटी देवी, पता चौराडी, नूआं, जिला झुंझुनू, राजस्थान- 333041
अन्य पता- प्लाट के साथ पट्टा नम्बर 1, संकल्प नम्बर 1, ग्राम चौराडी आथुनी, ग्राम पंचायत देवगांव नूआं, पंचायत समिति व तहसील नलगढ, जिला झुंझुनू, राजस्थान-333041
- आशीष कुमार, पता बिन्जूसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान-333021

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 02.02.2026

प्रार्थी मणपुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं० 1 लगायत 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 12.01.2024 को ऋण अनुबन्ध संख्या सं० MHL00520024697 रुपये 3,97,318/- (अक्षरे तीन लाख सत्यानवे हजार तीन सौ अठारह रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 1 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपने स्वामित्व की निर्माणशुदा अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया हुआ है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:-

बंधक सम्पत्ति का विवरण	
छोटी देवी पत्नि प्यारेलाल की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट के साथ पट्टा नम्बर 1, संकल्प नम्बर 1, ग्राम चौराडी आथुनी, ग्राम पंचायत देवगांव नूआं, पंचायत समिति व तहसील नलगढ, जिला झुंझुनू, राजस्थान पिन कोड 333041 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 295.55 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसकी चतुर्सीमाये निम्न प्रकार है:-	
पूर्व में	: भागीरथ की भूमि
पश्चिम में	: आम रास्ता
उत्तर में	: आम रास्ता
दक्षिण में	: राजपाल पुत्र श्री सुरजाराम का मकान

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08.06.2025 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ति (एन०पी०ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाते में बकाया 4,19,585/- (अक्षरे चार लाख उन्नीस हजार पांच सौ पच्चासी रुपये मात्र) दिनांक 11.06.2025 तक शेष व देय निकलते हैं व दिनांक 12.06.2025 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी मणपुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2025 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया। डिमाण्ड नोटिस का सार दो प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाया जिसकी प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियम समयावधि में उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद


जिला कलक्टर झुंझुनू

अधिस 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित सिक्क्योरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति में सम्पत्ति पर लगे तालों को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्क्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्क्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छोटी देवी पत्नि प्यारेलाल की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट के साथ पट्टा नम्बर 1, संकल्प नम्बर 1, ग्राम चौराडी आथुनी, ग्राम पंचायत देवगांव नूआं, पंचायत समिति व तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू, राजस्थान पिन कोड 333041 में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 295.55 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है का पजेशन प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी मणप्पुरम होम फाइनेन्स लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू